रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 | भारत सरकार | REGD. No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

अधिप्रमाणित
HSC
हरिभाई परथीभाई चौधरी
गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

सं. 116] दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2014/भाद्र 17, 1936 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 94]
No. 116] DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2014/BHADRA 17, 1936 [N.C.T.D. No. 94]

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह–I (पुलिस)/स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 सितम्बर, 2014

सं. एफ. 16/4/2013/गृह पुलिस–I/स्था./2943 से 2946.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं. फा. 24/78/68–डी.एच.(एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 6.5.1981 की अधिसूचना संख्या 5/88/80–गृह (पु)/स्था. के अनुसार प्रकाशित तथा दिनांक 30.01.2014 की अधिसूचना 16/4/2013/गृह पुलिस–I/स्था. द्वारा पुनः संशोधित, दिल्ली पुलिस में विधि सलाहकार के पद से संबंधित भर्ती नियम, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली गृह (पुलिस)/स्था. विभाग के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाने के लिए की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के साथ पूर्व परामर्श के पश्चात् दिल्ली पुलिस में **विधि सलाहकार** के पद से सम्बन्धित दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1981 में पुनः संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2014 कहा जा सकेगा ।

(2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी।

2. **नियम का संशोधनः**—दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1981 में विधि सलाहकार के पद के लिए विद्यमान

अनुसूची

1.	पदनाम	:	विधि सलाहकार
2.	पदों की संख्या	:	01*(2014) *इसमें कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित / अलिपिकीय
4.	वेतनमान	:	वेतन समूह–3, 15,600–39,100 / – रुपये जमा (ग्रेड पे 5400 / –रुपये)
5.	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिये पांच वर्ष की छूट) टीपः—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, (लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।)
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	<u>अनिवार्य</u> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि। (ii) बार अथवा किसी विधिक विभाग में पांच वर्ष का अनुभव। टीप–1 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं। टीप–2 : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति / जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं। <u>वांछनीय</u> लोक अभियोजक / सरकारी अधिवक्ता का अनुभव
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	<u>आयु : नहीं</u> <u>शैक्षणिक योग्यता : हाँ</u>
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	<u>दो वर्ष</u>
10.	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) और दोनों प्रकार से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

11.	यदि पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है	:	पदोन्नति : वेतन समूह–2 में, 9300–34800/–रुपये जमा ग्रेड पे 4600/–रुपये के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले सहायक विधि सलाहकार । टीप : जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वे पदोन्नति के लिये विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफ़लतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/अर्द्ध–सरकारी स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के निम्नलिखित अधिकारीगण : (i) समरूप पद धारण करने वाले; अथवा (ii) वेतन समूह–2, वेतनमान 9300–34800 रुपये जमा ग्रेड पे 4800/– रुपये में दो वर्ष की नियमित सेवा सहित या समकक्ष; अथवा (iii) वेतन समूह 2, वेतनमान 9300–34800 रुपये जमा ग्रेड वेतन 4600/– रुपये में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित या समकक्ष; तथा 2. कालम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती वाले प्रत्याशियों के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले। टीप:– (भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे)। (प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है। सामान्यतः 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी।) नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।"
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	"क" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति हेतु विचार करने के लिये), में:– (1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष (2) मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार – सदस्य (3) प्रधान सचिव (विधि एवं न्याय), दिल्ली सरकार – सदस्य (4) प्रधान सचिव (गृह), दिल्ली सरकार – सदस्य (5) पुलिस आयुक्त, दिल्ली – सदस्य

			"क" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थाईकरण के लिये विचार करने के लिये), में:– (1) मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार – अध्यक्ष (2) प्रधान सचिव (विधि एवं न्याय), दिल्ली सरकार – सदस्य (3) प्रधान सचिव (गृह), दिल्ली सरकार – सदस्य (4) पुलिस आयुक्त, दिल्ली – सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
जी. पी. सिंह, अतिरिक्त सचिव (गृह)

HOME- I (POLICE)/Establihsment Department

NOTIFICATION

Delhi, the 8th September, 2014

No. F. 16/4/2013/HP-I/Estt./2943 to 2946.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affair's Notification No.F.24/78/68-DS(S) dated the 24th September, 1968 and in supersession of Delhi Administration, Delhi, Home (Police)/Estt. Department, Recruitment Rules relating to the post of Legal Advisor in Delhi Police, published vide Notification No.F.5/88/80-Home(P)/Estt. dated 06.05.1981 and further amended vide Notification No. F.16/4/2013/HP-I/Estt. dated 30.01.2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission, New Delhi, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1981, namely:—

1. **Short title and commencement .-** (1) These Rules may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2014.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Amendment of rule.—** In the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1981 for the existing schedule for the post of Legal Advisor, the following schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification
1	2	3
Legal Advisor	01* (2014)* Subject to variation dependent on work load	General Central Services Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial
Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
4	5	6
PB-3, Rs.15600-39100/- plus Grade Pay-Rs.5400/-	Selection	Not exceeding 35 years {Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for

		determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep)
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9
Essential: (i) Degree in Law of a recognized University. (ii) Five years experience at Bar or in any legal department. **Note 1** : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2** : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Desirable** Experience as Public Prosecutor/Government Advocate.	**Age** : No Educational Qualification : Yes	Two years
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotions/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
10	11	12
By promotion failing which by deputation (including short term	**Promotion:** Assistant Legal Advisor with three years regular service in the	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering

3578 55714-2

contract) failing both by direct recruitment.	grade in the scale of Rs. 9300-34800/- plus Grade Pay of Rs.4600/- in PB-2. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Deputation (including short term contract): Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Semi-Government, Autonomous or Statutory Organizations: 1. (i) holding analogous posts; or (ii) with two years regular service in the scale of pay of Rs.9300-34800/- plus Grade Pay Rs.4800/- in PB-2 or equivalent; or (iii) with three years regular service in the scale of PB-2, Rs.9300-34800/- plus grade Pay- Rs.4600/- or equivalent; and 2. Possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under column 7. **Note:** (Departmental Officers in the Feeder-Category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by Promotion). (Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).	promotion) consisting of: (1) Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman (2) Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi—Member (3) Principal Secretary (L&J), Govt. of NCT of Delhi—Member (4) Principal Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi-Member (5) Commissioner of Police, Delhi —Member Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi—Chairman (2) Principal Secretary (L&J), Govt. of NCT of Delhi—Member (3) Principal Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi—Member (4) Commissioner of Police, Delhi —Member

	The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.	
Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment		
13		
Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.		

By Order and in the Name of Lieutenant Governor of

National Capital Territory of Delhi,

G. P. SINGH, Addl. Secy. (Home)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.